

51

न्यायालय सम आदरणीय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प उज्जैन.

प्रकरण क्रमांक-

PBR/निगरानी/शाजापुर/भू-8/2017/4647

श्री जलमल ओषधी ओषधी
द्वारा कृत्य उज्जैन में प्रस्तुत

22-11-17

1. सिद्धनाथ पिता हजारीलाल
 2. प्रेमनारायण पिता सिद्धनाथ
 3. भागीरथ पिता सिद्धनाथ
 4. रामकरण पिता शंकरलाल
 5. त्रिलोकचंद पिता रामप्रसाद
 6. हरीनारायण पिता रामप्रसाद
 7. रामचरण पिता हरीनारायण
 8. रवि पिता रामचरण
 9. भीमराज पिता केवलराम
 10. सतीष पिता रामेश्वर
 11. रमेश पिता केवलराम
 12. रामबाबू पिता केवलराम
- सभी जाति कुलमी पाटीदार गुजराती,
निवासीगण ग्राम खरदौनकलों
तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर,
..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. राधेश्याम पिता जीतमल
 2. जमनाप्रसाद पिता जीतमल
 3. ओमप्रकाश पिता जीतमल
 4. सतीष पिता राधेश्याम
 5. सियाराम पिता राधेश्याम
- सभी जाति तेली राठोर, निवासीगण
ग्राम खरदौनकलों तहसील
कालापीपल, जिला शाजापुर,
..... अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय,
तहसील कालापीपल के प्रकरण क्रमांक-
7अ-13/2016-17 में पारित आदेश दिनांक-
25.9.2017 से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर
उक्त निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा
50 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत
अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत

(Signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./शाजापुर/भूरा/17/4647

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

07-12-2017

आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार तहसील कालापीपल जिला शाजापुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25-9-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अनावेदक की फसल खड़ी होने के कारण प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अंतरिम रूप से रास्ता खोला गया है, प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण होना है जहाँ आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।




अध्यक्ष